अनुदान संख्या 31 – विदेश मंत्रालय
GRANT No. 31–MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	3674,38,00	4090,67,00	3926,24,18	–164,42,82
पूरक	Supplementary	416,29,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				30,51,99
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–		759,22,00	646,15,27	–113,06,73
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				102,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (16442.82 लाख रु.) नवंबर, 2007 और मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 41629.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 39 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.16442.82 lakhs) constituted 39 percent of the supplementary grants of Rs.41629.00 lakhs obtained in November, 2007 and March, 2008 and 4 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat-General Services				
मू.	O.	15618.00	15884.00	15800.23	–83.77
पु.	R.	266.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2601"	Major Head "2601"				
विदेशी मामले	External Affairs				
मू.	O.	185424.00			
पू.	S.	41629.00	224519.01	218346.78	–6172.23
पु.	R.	–2533.99			
मुख्य शीर्ष "3605"	Major Head "3605"				
अन्य देशों के साथ तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग	Technical and Economic Co-operation with Other Countries				
मू.	O.	166395.00			
			165611.00	158477.17	–7133.83
पु.	R.	–784.00			

(I) 2.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.2.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) मुख्य शीर्ष "2061" के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2061" remained wholly unutilised under the following heads as shown against each:–

(का) "दूतावास और मिशन - प्रबंधन और स्थापना" - 99001.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 5400.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 104401.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 7734.61 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) अमरीकी डालर की तुलना में रुपए के मूल्य में वृद्धि होने की वजह से विदेशों में स्थित मिशनों/चौकियों में कम व्यय होने के कारण हुई।

(A) "Embassies and Missions – Management and Establishment" – the original provision of Rs.99001.00 lakhs was augmented to Rs.104401.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.5400.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.7734.61 lakhs (including supplementary grant) - due to less expenditure in missions/posts abroad owing to appreciation of rupee value against the US dollar.

(खा) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - राष्ट्रमंडल" - 885.73 लाख रु. के मूल प्रावधान को 7.77 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 893.50 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 143.15 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) अंशदान के कुछ भाग को मूर्तरूप न दिए जाने के कारण हुई।

(B) "International Co-operation - Commonwealth" - the original provision of Rs.885.73 lakhs was augmented to Rs.893.50 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.7.77 lakhs. However, there was a saving of Rs.143.15 lakhs (including supplementary grant) - due to non-materialisation of some portion of the contributions.

(गा) "अन्य व्यय'' -

(क) "सीमाओं का सीमांकन'' - 300.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 150.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 450.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 211.27 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) भारत-पाकिस्तान सीमावर्ती खंबों के लिए अपने-अपने अभिकरणों द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने में विलंब होने के कारण हुई।

(ख) "हज पर व्यय'' - 555.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 24.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 579.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 117.30 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) सऊदी अरब को भेजे जाने वाले हज सद्भाव शिष्टमंडल के लिए अलग से उद्दिष्ट निधियों का कम उपयोग किए जाने के कारण हुई।

(ग) "विशेष कार्यक्रम'' - 346.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 38.20 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 384.20 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 189.10 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित)संगोष्ठियों, अध्ययनों और द्विपक्षीय परामर्शदाता समूहों के आयोजन किए जाने पर कम व्यय होने के कारण हुई।

(घ) "विदेश मंत्रालय छात्रावास एवं रिहायशी परिसर'' - 262.10 लाख रु. के मूल प्रावधान को 57.75 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 319.85 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 101.35 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) मजदूरी और कार्यालय व्यय पर कम व्यय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2061'' के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) "विशेष राजनयिक व्यय - विवेकाधीन व्यय'' - 44539.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 21028.00 लाख

(C) "Other Expenditure" -

(a) "Demarcation of Boundaries" – the original provision of Rs.300.00 lakhs was augmented to Rs.450.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.150.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.211.27 lakhs (including supplementary grant) – due to delay in completion of Joint Survey Work by the respective agencies for India - Pakistan Boundary Pillars.

(b) "Expenditure on Haj" – the original provision of Rs.555.00 lakhs was augmented to Rs.579.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.24.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.117.30 lakhs (including supplementary grant) – due to less utilisation of funds earmarked for Haj Goodwill Delegation to Saudi Arabia.

(c) "Special Programmes" – the original provision of Rs.346.00 lakhs was augmented to Rs.384.20 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.38.20 lakhs. However, there was a saving of Rs.189.10 lakhs (including supplementary grant) – due to less expenditure on holding seminars and studies and bilateral consultative groups.

(d) "MEA Hostels and Residential Complexes" – the original provision of Rs.262.10 lakhs was augmented to Rs.319.85 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.57.75 lakhs. However, there was a saving of Rs.101.35 lakhs (including supplementary grant) – due to less expenditure on wages and office expenses.

(III) Supplementary grant obtained under Major Head "2061" remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(A) "Special Diplomatic Expenditure – Discretionary Expenditure" – the original provision of Rs.44539.00 lakhs was augmented

रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 65567.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो इस शीर्ष के अंतर्गत व्यय के आकस्मिक स्वरूप का होने की वजह से कार्यकलापों के यथा अभिकल्पित कार्यान्वित न होने और अन्य देशों की राजनीतिक स्थिति का प्रभाव पड़ने के कारण 810.71 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) ''अंतर्राष्ट्रीय सहयोग'' -

(क) ''संयुक्त राष्ट्र संगठन'' - 7800.10 लाख रु. के मूल प्रावधान को 455.16 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 8255.26 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो संयुक्त राष्ट्र संगठन को अंशदान के कुछ भाग के मूर्तरूप न लेने के कारण 386.68 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) ''सार्क सचिवालय को अंशदान'' - 610.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 104.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 714.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो सार्क सचिवालय को अंशदान के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण 26.67 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(गा) ''अन्य व्यय'' -

(क) ''अन्य स्कीमें'' - 93.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 280.55 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 373.55 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो प्रस्तावित क्रियाकलापों का कार्यान्वयन न किए जाने के कारण 159.84 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) ''विशेष प्रतिनिधिमंडल'' - 580.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1672.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2252.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि जो विभिन्न कार्यक्रमों/क्रियाकलापों के लिए अनौपचारिक प्रतिनिधिमंडलों के आकार में कमी किए जाने के कारण 121.57 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

to Rs.65567.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.21028.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.810.71 lakhs – due to non-implementation of the activities as envisaged as the expenditure under this head was of contingent nature and affected by the political situation in other countries.

(B) "International Co-operation" -

(a) "United Nations Organisations" – the original provision of Rs.7800.10 lakhs was augmented to Rs.8255.26 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.455.16 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.386.68 lakhs – due to non-materialisation of some portion of the contributions to the United Nations Organisations.

(b) "Contributions to SAARC Secretariat" – the original provision of Rs.610.00 lakhs was augmented to Rs.714.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.104.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.26.67 lakhs – due to requirement of less funds for contribution to SAARC Secretariat.

(C) "Other Expenditure" -

(a) "Other Schemes" - the original provision of Rs.93.00 lakhs was augmented to Rs.373.55 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.280.55 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.159.84 lakhs – due to non-implementation of the proposed activities.

(b) "Special Delegations" - the original provision of Rs.580.00 lakhs was augmented to Rs.2252.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1672.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.121.57 lakhs – due to reduction in size of unofficial delegations for various programmes/activities.

(ग) ''मिशनों को विशेष अनुदान'' - 822.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 93.50 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 915.50 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो विदेशों में मिशनों/चौकियों में राष्ट्रीय दिवस के आयोजन पर कम व्यय किए जाने के कारण 74.60 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(c) "Special Grants to Missions" - the original provision of Rs.822.00 lakhs was augmented to Rs.915.50 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.93.50 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.74.60 lakhs – due to less expenditure on organizing of National Day in the missions/posts abroad.

(IV) मुख्य शीर्ष ''2061'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "2061" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/बैठकें- अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/बैठकें'' - 154.12 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दिसंबर, 2007 में आयोजित किए गए सार्क देशों के मंत्रियों के सम्मेलन से संबंधित बिलों का निपटान न किए जाने के कारण हुई।

(A) "International Conferences/Meetings - International Conferences/Meetings" – saving of Rs.154.12 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to non-settlement of bills for SAARC Ministerial Conference held in December, 2007.

(खा) ''अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन'' - 1054.66 लाख रु. की बचत (3.07 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 2190.24 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम आवश्यकता होने की वजह से ''विकास एवं मानवतावादी सहायता के लिए दक्षिण निधि'' और ''संयुक्त राष्ट्र केंद्रीय राहत निधि'' के लिए उद्दिष्ट निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(B) "International Co-operation - Other International Organisations" – saving of Rs.1054.66 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.2190.24 lakhs including supplementary grant of Rs.3.07 lakhs) was due to non-utilisation of funds earmarked for "South Fund for Development & Humanitarian Assistance" and "Central Relief Fund of United Nations" owing to less requirements.

(V) मुख्य शीर्ष ''3605'' - ''अन्य देशों के साथ सहयोग'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(V) Under Major Head "3605" – "Co-operation with Other Countries" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''नेपाल को सहायता'' - 3751.92 लाख रु. की बचत (13800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नेपाल में वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से विभिन्न क्रियाकलापों के मूर्तरूप न लेने के कारण हुई।

(A) "Aid to Nepal" – saving of Rs.3751.92 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.13800.00 lakhs) was due to non-materialisation of various activities owing to prevailing political situation in Nepal.

(खा) ''श्रीलंका - अन्य सहायता कार्यक्रम'' - 410.14 लाख रु. की बचत (2800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) श्रीलंका रक्षा कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए रक्षा मंत्रालय से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(B) "Sri Lanka – Other Aid Programmes" – saving of Rs.410.14 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2800.00 lakhs) was due to receipt of less claims from Ministry of Defence for training of Sri Lanka Defence Personnel.

(गा) ''म्यांमार को सहायता'' - 6249.98 लाख रु. की बचत (8041.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक कारणों की वजह से कलादान मल्टीमॉडल पारगमन परिवहन परियोजना के लिए अदायगियों के मूर्तरूप न लेने कारण हुई।

(C) "Aid to Myanmar" – saving of Rs.6249.98 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8041.00 lakhs) was due to non-materialisation of payments for Kaladan Multi Model Transit Transport Project owing to administrative reasons.

(घा) ''अन्य विकासशील देशों को सहायता'' - 54138.95 लाख रु. की बचत (55068.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों का अंतरण उप-शीर्ष ''अफगानिस्तान को सहायता'' जो कि पूर्व में इस उप-शीर्ष का भाग था, को किए जाने के कारण और साथ ही एशिया, उत्तरी अफ्रीका एवं दक्षिण एशिया के देशों के लिए द्विपक्षीय सहायता के लिए उद्दिष्ट निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(D) "Aid to Other Developing Countries" – saving of Rs.54138.95 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.55068.00 lakhs) was due to transfer of funds to sub-head "Aid to Afghanistan" which was previously a part of this sub-head and also on account of less requirement of funds earmarked for bilateral assistance for Countries in Asia, North Africa and South Asia.

(ङ) ''आईटीईसी कार्यक्रम '' - 104.35 लाख रु. की बचत (6000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अन्य मंत्रालयों द्वारा चयन में विलंब होने की वजह से विदेश में प्रतिनियुक्ति के लिए अपेक्षित भारतीय विशेषज्ञों की संख्या में कमी आने के कारण हुई।

(E) "ITEC Programme" – saving of Rs.104.35 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6000.00 lakhs) was due to decline in number of Indian experts required to be deputed abroad owing to delay in selection by other Ministries.

(चा) ''एससीएएपी कार्यक्रम'' - 296.56 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेशों में प्रतिनियुक्त भारतीय विशेषज्ञों की संख्या में कमी आने के कारण हुई।

(F) "SCAAP Programme" – saving of Rs.296.56 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs) was due to decline in number of Indian experts to be deputed abroad.

(छा) ''बहुपक्षीय आर्थिक संबंध कार्यक्रम'' - 1114.16 लाख रु. की बचत (2500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत में बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी उपक्रमण ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से भूमि के अधिग्रहण के लिए अदायगी के मूर्तरूप न लेने के कारण हुई।

(G) "Multilateral Economic Relation Programme" – saving of Rs.1114.16 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs) was due to non-materialisation of payment for acquisition of land from Greater NOIDA Authority for establishment of Bay of Bengal Initiative for Multi Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) Energy Centre in India.

(जा) ''मध्य एशिया को सहायता'' - 1240.52 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ताजिकिस्तान में वीईआरजेडओबी-1 पनबिजली परियोजना के लिए उद्दिष्ट निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(H) "Aid to Central Asia" – saving of Rs.1240.52 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs) was due to non-utilisation of funds earmarked for VERZOB–1 Hydroelectric Project in Tajikistan.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (58555.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

2.(I) The above savings were partly (Rs.58555.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament vide Annexure to Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2061'' -''प्रशिक्षण - विदेश सेवा प्रशिक्षण संस्थान'' - 115.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 120.96 लाख रु. था।

(A) Major Head "2061" – "Training – Foreign Service Training Institute " – Rs.115.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.120.96 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "3605" - "अन्य देशों के साथ सहयोग" -

(क) "बंगलादेश को सहायता" - 4150.00 लाख रु. । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 4111.96 लाख रु. था।

(ख) "आपदा राहत के लिए सहायता" - 7090.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 5311.62 लाख रु. था।

(ग) "सार्क कार्यक्रम" - 1290.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1247.83 लाख रु. था।

(घ) "अफगानिस्तान को सहायता" - 45910.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 43395.44 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय - विदेश मंत्रालय" - 183.23 लाख रु. का अधिक व्यय (15617.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंहगाई भत्ते की दर में वृद्धि होने और वस्तुओं एवं सेवाओं की लागत में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2061" - "पासपोर्ट और उत्प्रवास - केंद्रीय पासपोर्ट और उत्प्रवास संगठन" - 2493.34 लाख रु. का अधिक व्यय (10735.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 24285.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के पिछले वर्ष के दावों का निपटान किए जाने और साथ ही नए पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने एवं पासपोर्ट कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण का कार्य जारी रहने के कारण भी हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "3605" - "अन्य देशों के साथ सहयोग" -

(क) "भूटान को सहायता" - 3548.69 लाख रु. का अधिक व्यय (66631.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भूटान सरकार के व्यय और संसाधन के अंतर को दूर करने के लिए पावर ग्रिड कारपोरेशन को आर्थिक सहायता की अदायगी किए जाने व मिट्टी के

(B) Major Head "3605" – "Co-operation with Other Countries" –

(a) "Aid to Bangladesh" – Rs.4150.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.4111.96 lakhs.

(b) "Aid for Disaster Relief" – Rs.7090.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.5311.62 lakhs.

(c) "SAARC Programmes" – Rs.1290.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1247.83 lakhs.

(d) "Aid to Afghanistan" – Rs.45910.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.43395.44 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2052" – "Secretariat – Ministry of External Affairs" – excess of Rs.183.23 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.15617.00 lakhs) was due to increase in the rate of dearness allowance and cost of goods and services.

(B) Major Head "2061" – "Passport and Emigration – Central Passport and Emigration Organisation" – excess of Rs.2493.34 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.24285.00 lakhs including supplementary grant of Rs.10735.00 lakhs) was due to settlement of claims of previous year of India Security Press, Nasik, National Informatics Centre and also on account of opening of new Passport Offices and ongoing computerisation of Passport Offices.

(C) Major Head "3605" – "Co-operation with Other Countries" -

(a) "Aid to Bhutan" – excess of Rs.3548.69 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.66631.00 lakhs) was due to payment of subsidy to Power Grid Corporation to bridge gap between Govt. of Bhutan's expenditure and resource, supply of

तेल एवं तरल गैस की आपूर्ति रियायती मूल्यों पर किए जाने के कारण हुआ।

(ख) ''मालदीव को सहायता'' - 326.55 लाख रु. का अधिक व्यय (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मालदीव सरकार को आर्थिक सहायता के रूप में वित्तीय समर्थन प्रदान किए जाने और रक्षा एवं पुलिस बल में मालदीव अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के कारण हुआ।

(ग) ''अफ्रीकी देशों को सहायता'' - 1455.32 लाख रु. का अधिक व्यय (5000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत और अफ्रीकी देशों के मध्य ''पैन अफ्रीका ई-नेटवर्क'' पर कार्य प्रारंभ किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Kerosene Oil and liquefied gas at subsidized price.

(b) "Aid to Maldives" – excess of Rs.326.55 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to financial support to Government of Maldives as economic assistance and for training of Maldivian Officials in Defence and Police Force.

(c) "Aid to African Countries" – excess of Rs.1455.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs) was due to commencement of work on PAN Africa e-network between India and African Countries.

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4059'' लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works		16500.00	15675.00	–825.00
मुख्य शीर्ष ''4070'' अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4070" Capital Outlay on Other Administrative Services				
मू.	O.	40462.00	35922.00	33989.51	–1932.49
पु.	R.	–4540.00			
मुख्य शीर्ष ''4216'' आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing		8500.00	10150.76	+1650.76

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''7605'' विदेशी सरकारों को अग्रिम	Major Head "7605" Advances to Foreign Governments				
मू.	O.	10460.00	4800.00	4800.00	. .
पु.	R.	–5660.00			

(I) मुख्य शीर्ष ''4059'' - ''अन्य भवन - निर्माण - विदेश मामले'' के अंतर्गत 825.00 लाख रु. की बचत (16500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नैरोबी एवं हनोई में संपत्ति के अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(I) Under Major Head "4059" - "Other Buildings-Construction- External Affairs" - saving of Rs.825.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.16500.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposal for acquisition of property in Nairobi and Hanoi.

(II) मुख्य शीर्ष ''4070'' - ''अन्य व्यय - विवेकाधीन व्यय'' के अंतर्गत 6472.49 लाख रु. की बचत (40462.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विचारानुसार क्रियाकलापों के मूर्तरूप न लेने और अन्य मंत्रालय के व्यय हेतु निर्धारित निधियों का कम उपयोग किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4070" – "Other Expenditure – Discretionary Expenditure" – saving of Rs.6472.49 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.40462.00 lakhs) was due to non-materialisation of the activities as envisaged and less utilisation of funds placed at the disposal of other Ministries.

(III) मुख्य शीर्ष ''7605'' - ''भूटान सरकार को कर्ज'' के अंतर्गत 5660.00 लाख रु. की बचत (10460.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भूटान की राजसी सरकार द्वारा ताला पनबिजली विद्युत परियोजना और पुनात्संगचु-I पनबिजली परियोजना के लिए निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "7605" – "Loans to Government of Bhutan" – saving of Rs.5660.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10460.00 lakhs) was due to requirement of less funds by the Royal Government of Bhutan for Tala Hydroelectric Project and Punatsangchu–I Hydroelectric Project.

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''4216'' - ''सरकारी रिहायशी भवन - अन्य आवास - विदेश मामले'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 1650.76 लाख रु. का अधिक व्यय (8500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मिलान में किराए संबंधी देनदारियों को कम करने के लिए दूतावास निवास का क्रय किए जाने के कारण हुआ।

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "4216" – "Government Residential Buildings – Other Housing – External Affairs" – excess Rs.1650.76 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8500.00 lakhs) was due to purchase of Embassy Residence in Milan for reducing the rental liabilities.